

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र
—:रिमाण्ड कार्य आदेश:—

माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल व मई 2024 तक के लिए वीडियो कान्फ्रेसिंग रिमाण्ड एवं अवकाश के दिनों में रिमाण्ड कार्य सुचारु रूप से सम्पादित किये जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है:—

1. माह **जनवरी,2024** में वीडियो कान्फ्रेसिंग रिमाण्ड कार्य एवं अवकाश के दिनों में रिमाण्ड कार्य **श्रीमती दीक्षी चौधरी, सिविल जज सी.डि.(एफ.टी.सी.)**/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा सम्पादित किया जायेगा।
2. माह **फरवरी,2024** में वीडियो कान्फ्रेसिंग रिमाण्ड कार्य एवं अवकाश के दिनों में रिमाण्ड कार्य **सुश्री स्वर्णमाला सिंह, अपर सिविल जज सी0डि0**/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा सम्पादित किया जायेगा।
3. माह **मार्च,2024** में वीडियो कान्फ्रेसिंग रिमाण्ड कार्य एवं अवकाश के दिनों में रिमाण्ड कार्य **श्री नावेद अख्तर, सिविल जज जू0डि0**/न्यायिक मजिस्ट्रेट,सोनभद्र द्वारा सम्पादित किया जायेगा।
4. माह **अप्रैल,2024** में वीडियो कान्फ्रेसिंग रिमाण्ड कार्य एवं अवकाश के दिनों में रिमाण्ड कार्य **श्री अरुण कुमार पाण्डेय, सिविल जज जू0डि0(एफ.टी.सी.)**/न्यायिक मजिस्ट्रेट,(महिलाओं के विरुद्ध अपराध), सोनभद्र द्वारा सम्पादित किया जायेगा।
5. माह **मई,2024** में वीडियो कान्फ्रेसिंग रिमाण्ड कार्य एवं अवकाश के दिनों में रिमाण्ड कार्य **श्री यादवेन्द्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र** द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

यह रिमाण्ड कार्य आदेश दिनांक 01.01.2024 से प्रभावी होगा।

दिनांक: 01.01.2024

(अचल प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र